

विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 9.00 किमी. लम्बाई हेतु 4.357 हे० आरक्षित व 0.63 हे० सिविल वन भूमि, 2.165 डंपिंग यार्ड कुल 7-152 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वांछित भूमि का विवरण (Discription of the Land Required) :- प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 333/।।। (2)/14-46 (प्रा.आ.)/2013, दिनांक 21.01.2014 द्वारा 9.00 किमी. लम्बाई स्वीकृत हेतु रू० 68.33 लाख प्राप्त हुई है। यह मार्ग सिलक्यारा-बनगांव-चापड़ा सरोट मोटर मार्ग के किमी० 43.00 से 3.00 किमी० लम्बाई में निर्माणाधीन बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आगे आरम्भ होता है। तथा 9.00 किमी० लम्बाई पूर्ण कर समाप्त होता है।

उपरोक्त 9.00 किमी. लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत् है -

5. नाप भूमि	:- 1.312 हे०।
6. आरक्षित वन भूमि	:- 4.357 हे०।
7. सिविल भूमि	:- 0.63 हे०।
8. मलवा निस्तारण	:- 2.165 हे०।

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :- $(4.357+0.63+2.165 \text{ हे०} = 7.152 \text{ हे०})$

विदित हो कि यह मार्ग सिलक्यारा-बनगांव-चापड़ा सरोट मोटर मार्ग के कि०मी० 43.00 से 3.00 किमी० लम्बाई में निर्माणाधीन बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से आगे आरम्भ होता है। तथा 9.00 किमी० लम्बाई पूर्ण कर समाप्त होता है। ग्राम-चापड़ा-कसलाना की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है तथा लक्षित मार्ग को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावित पेड़ों का विवरण :- मोटर मार्ग में कुल 667 वृक्ष चीड़ प्रजाती के प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 667 वृक्षों में से 10-20 व्यास के 39 वृक्ष, 20-30 व्यास के 194 वृक्ष, 30-40 व्यास के 192 वृक्ष, 40-50 व्यास के 133 वृक्ष, 50-60 व्यास के 68 वृक्ष, 60-70 व्यास के 33 वृक्ष, 70-80 व्यास के 07 वृक्ष, 80-90 व्यास के 00 वृक्ष व 90 से अधिक व्यास के 00 वृक्ष आ रहे हैं।

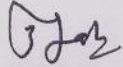
मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण :- प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम चापड़ा (आबादी 563) ग्राम-कसलाना (आबादी 690) लाभान्वित हो रहे हैं। यह मार्ग विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में नाप भूमि, सिविल भूमि एवं आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

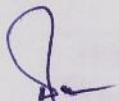
मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य :- वर्तमान में ग्राम कसलाना के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड़ हैड तक पहुंचाने हेतु लगभग 6.00 किमी. की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही हैं, जिस

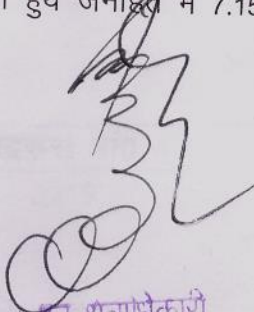
कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है। मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लोगों से वंचित है तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ग्रामवासी अपने नगदी फसलों यथा संतरे, अदरक, आलू, नींबू, टमाटर इत्यादि को रोड़ हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता। मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होने व साथ-साथ गांव से नव युवकों का पलायन रुकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 7.152 हे० वन भूमि, जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गयी है, न्यूनतम है तथा समरेखण को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि वृक्षों का न्यूनतम पातन हो। इस प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है, जिसमें इससे कम वृक्षों का पातन हो। वन भूमि 7.00 मीटर चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर निर्माण किया जायेगा।

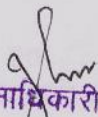
भूगर्भवेता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखण में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखण में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुये जनरल में 7.152 हे० वन भूमि को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
उत्तरकाशी

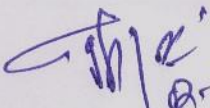

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माणखण्ड, लो.नि.वि.
उत्तरकाशी


वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर दमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)


वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज


J.D.


B.S. 1
B.S. 1


B.S. 1